


आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई एवं तिथि
1	2	3
09/02/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार के नाम से नोटिस तामिला किया गया। देनदार श्री कविश्वर नायक, पिता—स्व० वनमाली नायक ग्राम— अन्धारी थाना— कुमारडुँगी, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड का केस सं० 115(Adv)/70-71 रूपये मुलधन—2517.90 ब्याज—6420.47 लगत—12.57 कुल—8950.70 राशि की वसूली कर ली गयी है। अतः अभिलेख की आगे की कार्रवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"> नीलाम पत्र पदाधिकारी, कुमारडुँगी।</p>	